न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजाखेड़ा (धौलपुर)
पीठासीन अधिकारी :- सन्तोष कुमार गोयल (आर.ए.एस.)

मुकदमा नम्बर : 74/09

उनवान मुकदमा मय: 1- गंगाराम, 2- करम, 3- मोहरमन — पिसरान रामचन्द्र — कौम जाटव निवासीगण ग्राम बाबरपुर तहसील राजाखेड़ा

--- वादीगण

बनाम

1- बीरबल पुत्र गबदुआ
2- रामरती बेवा गबदुआ
3- हरनासिंह, 4- कमुनी, 5- राधेश्याम, 6- बिरसा — पुत्रगण ईश्वरिया
7- सरवती बेवा ईश्वरिया
8- चन्द्रकला, 9- मायादेवी, 10- बीरो — पुत्रीयान ईश्वरिया

कौम जाटव निवासीगण ग्राम बाबरपुर तहसील राजाखेड़ा

11- तहसीलदार राजाखेड़ा बहैसियत लेन्ड होल्डर

--- प्रतिवादीगण

दावा स्वत्व घोषणा दुरूस्ती इन्द्राज मय स्थाई निषेधाज्ञा।

उपस्थिति :- 1- श्री अश्विनी कुमार जैन वकील वादीगण,
2- श्री प्रेमसिंह राघव वकील प्रतिवादीगण

निर्णय दिनांक :- 25/11/2009

वादीगण द्वारा यह वाद इस न्यायालय मे अर्न्तगत धारा 88 एव 188 आर.टी.एक्ट इन तथ्यो के साथ पेश किया कि विवादित आराजी ख.न. 212 रकबा 0 बीघा 4 बिस्वा, 213 रकबा

क्रमशः - 2

उपखण्ड अधिकारी
राजाखेड़ा (धौलपुर)

01 बीघा 03 बिस्वा, 214 रकवा 01 बीघा 17 बिस्वा, कुल किता 3 कुल रकवा 05 बीघा 5 बिस्वा स्थित ग्राम गढ़ी जौनावद तहसील राजाखेड़ा की आराजी मालिक में वादीगण के पिता रामचंद्र उर्फ रामचरा पुत्र खुबिया कौम चमार निवासी वावरपुर तहसील राजाखेड़ा की तथा खातेदारी काश्त व मालिक कब्जे की आराजी थी। वादीगण के पिता की मृत्यु करीब 45 वर्ष पूर्व हो चुकी है। वादीगण अपने पिता के तथा वारिस व मालिक तथा है। एवं निरन्तर काश्त करते आ रहे हैं। इस आराजी से प्रतिवादीगण तथा उनके पूर्वज ईसुईया का कभी कोई सम्बन्ध सरोकार नहीं रहा है एवं न आज है। दावा दायरी से दो माह पूर्व जब वादीगण विवादित आराजी पर देखरेख करने गये तो प्रतिवादी सं. 1 ता 10 मौके पर आ गये और बोले कि इन खेतों में हमारा भी नाम चल रहा है। हमने अपने पूर्वज रतिया व ईसुईया की मृत्यु के बाद अपने नाम फौतीनामा भी दर्ज करा लिया है। अब हम मौका मिलते ही उपरोक्त आराजी पर जबरन कब्जा करेंगे। तब वादीगण ने गई पुरानी नकुलात प्राप्त की तो वादीगण को सर्वप्रथम पता चला कि महकमा बन्दोबस्त ने बिना किसी अधिकार एवं आदेश के पूर्व के इन्द्राजात के विपरीत, अयातक वादीगण के पिता के साथ प्रतिवादीगण के पूर्वज रतिया, ईसुईया के नाम का बन्दोबस्ती पर्चा जारि कर दिया है, जो कानूनन अवैध है, जिससे रतिया, ईसुईया का कोई हक प्राप्त नहीं हो सकते है। तथा इस कार्यवाही से वादीगण अथवा उनके पिता के हक समाप्त नहीं हो सकते हैं। रतिया करीब 25 वर्ष पूर्व गवत हुआ करीब 20 वर्ष पूर्व एवं ईसुईया करीब 19 वर्ष पूर्व फौत हो चुके है। गवत के वारिस प्रतिवादी सं. 1 व 2 है। एवं ईसवरिया के वारिस प्रतिवादी स 3 ता 10 है॥ दावा दायरी से एक सप्ताह पूर्व जब वादीगण ने प्रतिवादी स 1 ता 10 से गलत एवं अवैध इन्द्राजात को दुरुस्त हेतु कहा तो वे वादीगण के हकूक से इन्कार हो गये तथा भूमि को खुर्द बुर्द करने तथा रहन बय करने की धमकी दी तब वादीगण ने न्यायालय उपस्थित आकर अपने हकूकों की घोषणा करने एवं प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करने

क्रमश --- 3

उपखण्ड अधिकारी
राजाखेड़ा (धौलपुर)

के लिए यह दावा पेश किया है। तथा दावा अन्दर में दावा डिक्री किये जाने बाबत निवेदन किया है।

दावा वादीगण दर्ज रजिस्टर किया जाकर, प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया, प्रतिवादीगण अपने अभिभावक के साथ न्यायालय में उपस्थित आये। प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 की ओर से दिनांक 28-5-2012 को जवाब दावा पेश किया गया, जिसमें उनके द्वारा वाद पत्र के कथनों को सामान्य रूप से स्वीकार करते हुए कथन किया है कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण एक ही पूर्वज की औलाद हैं, वंशावली के अनुसार दोनों के पूर्वज रघुसिंह थे। उनके तीन पुत्र रामचन्द्रा, रतिया व ईश्वरिया हुए। रामचन्द्र के तीन पुत्र हुए जो वादीगण हैं। रतिया के एक पुत्र गवडुआ हुआ तथा गवडुआ के वारिस प्रतिवादी सं. 1 ता 2 हैं। ईश्वरिया के वारिस प्रतिवादी सं. 3 ता 6 हैं। रामचन्द्रा अपने दोनों भाईयों से बड़ा था तथा बड़ा होने कारण पिता के साथ खेती में हाथ बटाता था तथा राज दरबार में भी आने जाने का काम करता था। विवादित आराजी पिता रघुसिंह के तीनों पुत्रों पर प्रकट हुई थी। रामचन्द्रा द्वारा खुद की हुई आराजी नहीं है। बवक्त बन्दोबस्त रामचन्द्रा ने बन्दोबस्त कर्मचारियों से बातचीत कर एक खाता कायम कराया था, जिसमें जो खर्चा आया था वह तीनों भाईयों ने मिलकर अदा किया था। रामचन्द्रा आराजी का तन्हा खातेदार नहीं था तीनों ही खातेदार थे। मिलकर काश्त करते थे। वर्तमान में जमीन की कीमतों में भारी इजाफा होने के कारण, वादीगण की नीयत में बदी आ गयी है तथा यह दावा प्रतिवादीगण को हैरान व परेशान करने के लिए किया गया है। वे भी निरन्तर काश्त करते आये हैं उन्हें खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके हैं। आराजी का वादीगण बवक्त पूर्व में ही ... चुका है। इसलिए वादीगण का दावा निराधार है। इसलिए खारिज किया जावे। अन्य प्रतिवादीगण की ओर से कोई जवाब पेश नहीं किया गया।

तदुपरान्त प्रकरण में निम्न प्रकार से तनकीहात कायम की गयी:—

(1) आया विवादित आराजी वादीगण की मुश्तर्का खातेदारी कब्जे

उपखण्ड अधिकारी
राजाखेड़ा (धौलपुर)

क्रमशः—4

व कब्जे की है। जिसमे प्रत्येक का 1/3-1/3 हिस्सा है
--- वादीगण।

(2) आया विवादित आराजी आबिक में वादीगण के पिता स्व० रामचन्द्र उर्फ रामचन्द्रा की तन्हा खातेदारी की थी जिसे बिना किसी अधिकार। कानून आदेश के महकमा बन्दोबस्त ने पूर्व के इन्द्राजात के विपरीत प्रतिवादीगण के पूर्वज रतिया, ईसुईया के नाम भी दर्ज कर दिया, जो अवैध ही काबिल इजराई है।
--- वादीगण

(3) आया कि महकमा बन्दोबस्त ने रामचन्द्रा के कहने से ही विवादित खाता कायम किया, जिसमे ओरखर्चा आया वह तीनो ने मिलकर अदा किया।
--- प्रतिवादीगण

(4) आया प्रतिवादीगण की हैसियत एक शामलात की है। काश्त करते आ रहे हैं। विकल्प में 13 AA के आधार पर खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके है।
--- प्रतिवादी०

(5) अनुतोष

साक्ष्य वादीगण मे दस्तावेजी साक्ष्य मे नकल जमाबन्दी खाता स० 49 सं० 2063-65 प्रदर्श-P.1, नकल मिलान खेतफल प्रदर्श P-2, नकल मिसील बन्दोबस्त खाता स० 37 सं० 2022 प्रदर्श P-3, नकल जमाबन्दी पंचवर्षीय खाता सं० 410 सम्वत 2016-2019 प्रदर्श P-5, नकल जमाबन्दी खाता स० 170 सं० 2020-2023 प्रदर्श P-4, नकल जमाबन्दी खाता स० 161 सं० 2012-15 प्रदर्श P-6 पेश किये हैं तथा मौखिक साक्ष्य में बयान मोहरमन PW1 कराया गया।

साक्ष्य प्रतिवादीगण मे दस्तावेजी साक्ष्य मे, नकल जमाबन्दी सं० 2030-33, नकल सैटलमेन्ट एव नकल जमाबन्दी सं० 2028 पेश की है तथा मौखिक साक्ष्य में बयान फागुनीराम DW1 कराया गया है।

बहस बिद्वान अभिभाषकगण उभय पक्ष सुनी गयी वकील वादीगण द्वारा अपनी बहस मे वादपत्र के कथनो

उपखण्ड अधिकारी
राजाखेड़ा (धौलपुर)

क्रमशः--5

को दोहराया, तथ्य दस्तावेजों एवं मौखिक साक्ष्य के आधार पर दावा को पूरी तरह साबित होना बताते हुए तर्क किया कि बन्दोबस्त से पूर्व विवादित आराजी अकेले वादीगण के पिता रामचन्द्र के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी। बन्दोबस्त द्वारा बिना किसी अधिकार एवं आदेश के रामचन्द्र के साथ रतिया एवं ईसुरिया के नाम जोड़े हैं वह अवैध है क्योंकि बन्दोबस्त को केवल पुरानी प्रविष्टियों को दोहराने का अधिकार है उनमें परिवर्तन का उसे अधिकार नहीं है। प्रस्तुत साक्ष्य से दावा भली भांति साबित है इसलिए दावा डिक्री किया जावे। अपने कथन के समर्थन में उनके द्वारा RBJ 1998 पृष्ठ 275, 290, 610 एवं RBJ 2013 पृष्ठ 81, 83, RBJ 2015 पृष्ठ 4, 251, 256, की कानूनी नजीरें पेश की गयी।

वकील प्रतिवादीगण द्वारा अपनी बहस में अपने जवाब दावा के कथनों को दोहराया तथा तर्क किया कि पूर्वक खूबिया के तीन लड़के थे, रामचन्द्र बड़ा लड़का था, रामचन्द्र ही सारे कार्य करता था। बन्दोबस्त द्वारा विवादित आराजी तीनों भाईयों पर कब्जा होने के कारण रामचन्द्र की सहमति से बन्दोबस्त ने तीनों के नाम की थी तथा वर्षों तीनों के उपयोग था तथा तब से निरन्तर तीनों का कब्जा चला आ रहा है। अब जमीन की महंगाई ने वादीगण के मन में बदनीयती आने से दावा केवल परेशान करने के लिए किया है इसलिए खारिज होने योग्य है एवं खारिज किया जावे। अपने कथन के समर्थन में उन्होंने RRT 2012 पृष्ठ 227, RRT 2012(2) पृष्ठ 744 एवं RRT 2013 पृष्ठ 1386 की कानूनी नजीरें पेश की।

हमने पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया तथा बहस विद्वान अभिभाषकगण उभयपक्ष पर मनन किया तनकीवार निर्णय निम्न प्रकार से है:—

तनकी नम्बर-1 :- इस तनकी को साबित करने का भार वादीगण पर है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी राजस्व रिकार्ड नकल जमाबन्दी सं. 2016-19 एवं नकल जमाबन्दी सं. 2020-23 में विवादित आराजी के सभी नम्बरों पर अकेले रामचन्द्र पुत्र खूबी कौम चमार की खातेदारी में दर्ज है। स्वयं बन्दोबस्त के 2022 में

उपखण्ड अधिकारी
राजाखेड़ा (धौलपुर)

विवादित आराजी पर रामचन्द्र के साथ रामसिंह, रघुवीर सिंह व रघुवीर सिंह कौम चमार का नाम बन्दोबस्त विभाग का स्वयं दर्ज कर दिया है। जिससे रामचन्द्र का हिस्सा केवल 1/3 ही रह गया है। बन्दोबस्त को प्रविष्टियों को दोहराने का अधिकार है उनमें परिवर्तन करने का अधिकार नहीं है। RBJ-2013 पृष्ठ 81,83 व RBJ-2015 पृष्ठ-4, 25 की कानूनी नजीरें इस प्रकरण पर चस्पा होती हैं। इसलिए बन्दोबस्त द्वारा विवादित आराजी पर दर्ज प्रविष्टियों में किये गये परिवर्तन को अवैध पाया जाता है। इसलिए यह तनकी वहक वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीगण तय की जाती है।

तनकी नम्बर-2:- इस तनकी को साबित करने का भार भी वादीगण पर है। तनकी नं. 1 के विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि बन्दोबस्त विभाग द्वारा अवैध रूप से विवादित आराजी को अकेले रामचन्द्र के स्थान पर तीनों भाईयों, रामचन्द्र रामसिंह व रघुवीरसिंह के नाम से शामिल रूप से बराबर बराबर दर्ज कर दिया था इसी कारण यह आराजी वर्तमान में तीनों भाईयों के वारिसों में 1/3 व 1/3 भाग से आज तक दर्ज चली आ रही है। जो गलत है एवं अवैध है। केवल रामचन्द्र के नाम ही जानी चाहिये थी अतिरिक्त ऐसा होता तो केवल वादीगण विवादित आराजी पर अलग रूप से प्रत्येक 1/3 व 1/3 भाग के वारिसान काश्तकार होते। चूंकि बन्दोबस्त विभाग को परिवर्तन करने का अधिकार नहीं है इसलिए बन्दोबस्त विभाग द्वारा किये परिवर्तन को अवैध घोषित किया जाता है। अतः यह तनकी भी वहक वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीगण तय की जाती है।

तनकी नम्बर-3:- इस तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर है। प्रतिवादीगण ने इस तनकी को साबित करने के लिए कोई दस्तावेजी साक्ष्य अथवा स्वतन्त्र गवाह का बयान नहीं कराया जिससे यह साबित हो सके कि बन्दोबस्त विभाग में रामचन्द्र के कहने से ही तीनों भाईयों के नाम दर्ज हुए थे तथा वर्षों तीनों भाईयों ने वहन किया था। इसलिए यह तनकी वहक वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीगण तय की जाती है।

तनकी नम्बर-4:- इस तनकी को साबित करने का भार भी

क्रमशः-7

उपखण्ड अधिकारी
राजाखेड़ा (धौलपुर)

प्रतिवादीगण पर थे। रजा तनकी को साबित करने के लिए भी प्रतिवादीगण की ओर से विस्तार करके बावत कोई स्वतन्त्र गवाह का बयान नहीं कराया है इसलिए प्रतिवादीगण 13 A A के आधार पर भी खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के अधिकारी नहीं हैं अतः यह तनकी भी वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीगण तय की जाती है।

अनुतोष :- उपरोक्त तनकीवार विवेचन के आधार पर हम दावा डिक्री किया जाना उचित समझते हैं:-

आदेश अतः आदेश है कि दावा वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किया जाकर विवादित आराजी ख० नं० 212 रकबा 01 बीघा 05 बिस्वा, 213 रकबा 01 बीघा 03 बिस्वा, 214 रकबा 01 बीघा 17 बिस्वा कुल 3 कुल रकबा 04 बीघा 05 बिस्वा स्थित ग्राम गढ़ी जौनावद तहसील सराजाखेड़ा का वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। राजस्व रिकार्ड मे दुरुस्ती की जाकर विवादित आराजी केवल वादीगण के नाम के इन्द्राज दर्ज करने तथा प्रतिवादीगण के उनके नाम कलमजद किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली कोमल कुमार देकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

आज यह निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।
दिनांक 25/11/2019

(सन्तोष कुमार गोयल)
आर० ए० एस०
उपखण्ड अधिकारी
सराजाखेड़ा (धौलपुर)
उपखण्ड अधिकारी
सराजाखेड़ा